

कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) बैतूल (म0प्र0)

क0 32 अ-82/18-19, भू-अर्जन/जूनावानी/14194 बैतूल दिनांक

27-12-19  
-11-2019

ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल, नागझिरी जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम जूनावानी प0ह0न0 78 तहसील बैतूल जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं :-

अ0क0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे0	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	28/3	0.280	0.280	प्रहलाद व0 धन्नु जाति तेली सा0 देह

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम जूनावानी तहसील बैतूल की उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की कुल 0.280 हे0 भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत समयवाधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 27-12-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



( तेजस्वी एस. नायक )  
कलेक्टर,  
बैतूल

14  
2-1-20

-2-

क 32 अ-32/17-18 भू-अर्जन/जूनावानी/14/94 बैतूल दिनांक 27.12.19  
प्रतिलिपि:- 14-2019

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानसंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल जिला बैतूल को प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रमारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरमा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बैतूल की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरमा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल/ग्राम पंचायत पर चरमा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करे।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे।

*[Handwritten signature]*  
24/01/2020

*[Handwritten signature]*  
अपर कलेक्टर,  
बैतूल